न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15/2021 दायर दिनांकः 22/04/2021

उनवान

1. जवाहर सिंह आयु 72 वर्ष पुत्र छोटासिंह जाति राजपूत निवासी आमली तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी सकतपुरा कोटा जिला कोटा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आमली पटवार हल्का चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 135 का ख0नं0 110 का रकबा 0.18 है0, ख0 नं0 111 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 112 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 133/574 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 134 का रकबा 1.23 है0, ख0नं0 135 का रकबा 1.56 है0, ख0नं0 136/611 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 361 का रकबा 0.54 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.20 है0 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का घर पर बोलता नाम हरिसिंह होने के कारण प्रार्थी का नाम जवाहर सिंह के स्थान पर हरिसिंह गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के भाई धनसिंह व भैरूसिंह पुत्रान छोटासिंह का जमाबन्दी में सही नाम दर्ज किया है। प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत चरडाना का प्रमाण में सही नाम जवाहर सिंह दर्ज है। इसलिए प्रार्थी नाम हरिसिंह के स्थान पर सही नाम जवाहर सिंह दर्ज किया जावें। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हरिसिंह के स्थान पर सही नाम जवाहर सिंह दर्ज करवाया जाना संभव नही है। अगर प्रार्थना पत्र

की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी नाम हरिसिंह के स्थान पर सही नाम जवाहर सिंह दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हरिसिंह के स्थान पर सही नाम जवाहर सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित क्रम संख्या 1 में अंकित कथन मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार है। मद संख्या 2 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वादी ने हरिसिंह के स्थान पर जवाहरसिंह दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड में जवाहरसिंह पुत्र छोटासिंह दर्ज है। वादी का राजस्व रिकार्ड में हरिसिंह पुत्र छोटासिंह जाति राजपूत दर्ज है। मद संख्या 3 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 4 में अंकित कानूनी है। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** व **pw 2** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल आमली की आराजी खाता संख्या 135 का ख0नं0 110 का रकबा 0.18 है0, ख0 नं0 111 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 112 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 133/574 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 134 का रकबा 1.23 है0, ख0नं0 135 का रकबा 1.56 है0, ख0नं0 136/611 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 361 का रकबा 0.54 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.20 है0 में प्रार्थी का नाम हरिसिंह के स्थान पर सही नाम जवाहर सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075 ग्राम आमली के खाता संख्या 135 के किता 8 के रकबा 4.2 है0 में प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र छोटासिंह हिस्सा 1/10 दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम जवाहर सिंह पुत्र छोटा सिंह व परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम

जवाहर सिंह नातावत पुत्र छोटू सिंह दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत चरडाना के प्रमाण पत्र दिनांक 08.01.2016 अनुसार भी हरिसिंह तथा जवाहर सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति कें है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आमली पटवार हल्का चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 135 का ख0नं0 110 का रकबा 0.18 है0, ख0 नं0 111 का रकबा 0.20 है0, ख0नं0 112 का रकबा 0.31 है0, ख0नं0 133/574 का रकबा 0.03 है0, ख0नं0 134 का रकबा 1.23 है0, ख0नं0 135 का रकबा 1.56 है0, ख0नं0 136/611 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 361 का रकबा 0.54 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.20 है0 में सहखातेदार हरिसिंह के स्थान पर जवाहर सिंह उर्फ हरिसिंह पुत्र छोटासिंह राजपूत राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां